**FROM No. III**

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO) जायल

अदालत ____________________ मुकाम ____________________

सुखाराम बनाम जोगाराम व अन्य

किस्म मुकदमा रा. वाद 88,188 राज.का.अधि. नं. 41 सन् 2013

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.4.13 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री सुमेराराम ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/06/13 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>सहायक कलेक्टर (SDO) जायल | |
| 12.06.13 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणो के सम्मन तामील [illegible] शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए है। अतः मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/09/13 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 23/09/13 | पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि. -कारी दिगर कार्यो में व्यस्त हैं। मिसल ईल्तवा होकर दिनांक 12.11.13 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 12.11.13 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली ईल्तवा होकर। दिनांक 10.02.14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |
| 10.02.14 | वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणो के सम्मन तामील [illegible] शुदा पूर्व में प्राप्त। अतः आईन्दा पत्रावली वास्ते जवाब वकालातनामा दिनांक 12/03/14 को पेश हो। (हस्ताक्षर) | |

12.10.13 श्री [illegible] [illegible] पुलिस [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] दिनांक 14.5.14 को [illegible] [illegible] [illegible] किया गया।

14.5.14 [illegible] पेश हुई। पत्रावली [illegible] अंतिम [illegible] अभी [illegible] है। पत्रावली [illegible] 23.6.14 को पेश हो।

23.6.14 [illegible] पेश हुई। पत्रावली [illegible] अंतिम [illegible] अभी [illegible] है। पत्रावली [illegible] 30.7.14 को पेश हो।

30.7.14 [illegible] पेश हुई। पत्रावली [illegible] अंतिम [illegible] अभी [illegible] है। पत्रावली [illegible] 20.10.14 को पेश हो।

20.10.14 [illegible] पेश हुई। पत्रावली [illegible] अंतिम [illegible] अभी [illegible] है। पत्रावली [illegible] 11.11.14 को पेश हो।

11.11.14 [illegible] पेश [illegible] पर नियत है [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 30.12.14 को पेश हो।

30.12.14 [illegible] [illegible] [illegible] है। [illegible] [illegible] 28.1.15 को पेश हो।

28.1.15 [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] को पेश हो।

| हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

...07/15

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट में रखी गई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या 7 की फौतगी सूचना व कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का प्रार्थना-पत्र मय संशोधित शीर्षक पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित जिनके द्वारा राजीनामा पेश किया गया, राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

अ.नि. तुलछाराम

जोगाराम

अ.नि. चैनाराम

हरूराम

अ.नि. जैनाराम

अ.नि. दीपाराम

अ.नि. नेनू

(SDO)

**अन्तिम डिक्री**
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी R.A.S.

अनवान

तुलसाराम

बनाम

जोगाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या— 41/13

निर्णय दिनांक :—

वादीनीगण की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08/07/2015 को (नाम पीठासीन अधिकारी) वीरेन्द्रसिंह चौधरी, उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि —

**वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा पूनियों का तला पटवार मण्डल सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 633/556 रकबा 59.15 बीघा, खसरा नम्बर 588/430 रकबा 24. 02 बीघा, खसरा नम्बर 591/430 रकबा 63.00 बीघा व मौजा पीथाणियों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 678/557 रकबा 05.15 बीघा भूमि में वादी को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 को 1/8 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 6 को 1/8 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप वादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।**

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08.07.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
सहायक कलक्टर, बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

वाद के खर्चे

| वादी | रुपया | प्रतिवादी | रुपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4. ............ रुपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7. आदेशिका की तामिल | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

न्याय

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|

1. तुलसाराम पुत्र खरथाराम
निवासी चक सन्तरा,
तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर।

1. जोगाराम पुत्र सुरताराम
2. दीपाराम पुत्र सुरताराम
3. गेनाराम पुत्र सुरताराम
4. नेनू पत्नी सुरताराम
5. चैनाराम पुत्र खरथाराम
6. हरूराम पुत्र लाधाराम
7. उदाराम पुत्र खेमाराम फौत के कायम मुकाम
   7/1. मानाराम पुत्र उदाराम
8. शाखा प्रबंधक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा, सवाउ पदमसिंह
9. तहसीलदार, गिड़ा

(SDO) बायतु

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
सहायक कलक्टर, बायतु
(SDO) बायतु

श्री

# न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु जिला-बाड़मेर

**पीठसीन अधिकारी :- विरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस**

राजस्व वाद संख्या 41 / 13

1. तुलसाराम पुत्र खरथाराम
   निवासी चक सन्तरा तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

.................................................... वादी

**बनाम**

1. जोगाराम पुत्र सुरताराम
2. दीपाराम पुत्र सुरताराम
3. गेनाराम पुत्र सुरताराम
4. नेनू पत्नि सुरताराम
5. चैनाराम पुत्र खरथाराम
6. हरूराम पुत्र लाधाराम
7. उदाराम पुत्र खुमाराम फौत के कायमुकाम
   7 / 1 मानाराम पुत्र उदाराम
   जाति जाट निवासी चक सन्तरा हाल निवासी
   पुनियो का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
8. शाख प्रबन्धक जयपुर थान ग्रामीण बैंक सवाऊ पदमसिंह
9. श्रीमान तहसीलदार साहब गिड़ा

.................................................... प्रतिवादीगण

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

सहायक कलक्टर (SDO)

**—:: निर्णय ::—**

दिनांक : 08.07.2015

उपस्थित :— 1. श्री घमण्डाराम सारण एडवोकेट वादी

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

**पत्रावली आज वादीगण वकील के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट केम्प सवाऊ पदमसिंह मे रखी गई।**

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुनियो का तला में खेत खसरा नम्बर 633/556 रकबा 59.15 बीघा, खसरा नं. 588/430 रकबा 24.02 बीघा, खसरानं. 591/430 रकबा 63.00 बीघा मौजा पीथोणियो की ढाणी के खेत खसरा नं. 678/557 रकबा 5.15 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादीगण 1 से 7 की पुश्तैनी सम्पत्ति है जो कि वक्त सेंटलमेन्ट मूल खसरा नं. 556,470 व 457 की थी जिसका पर्चा लगान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता प्रतिवादी संख्या 4 के पति सुरताराम पुत्र खरथाराम प्रतिवादी संख्या 5 स्वंय चैनाराम पुत्र खरथाराम प्रतिवादी संख्या 6 के पिता हरूराम पुत्र लाधुराम के नाम से लगान जारी हुआ था जबकि वादी भी खरथाराम का पुत्र था इस परिवार मे कर्ता धर्ता उसका बड़ा भाई होने के कारण वादी का नाम वक्त सेंटलमेट उपरोक्त खसरान मे से छुट गया जबकि वादी एंव प्रतिवादी का अन्य खेत मौजा चक सन्तरा मे आया हुआ है जिसमे भी वादी का नाम नही था लेकिन बाद मे प्रशासन गांवो के संग अभियान मे नाम जुड़वा दिया गया है। तत्पश्चात अन्य खातेदारो से बंटवाड़ा होने के कारण उक्त नव सृजित खसरो की भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त मे रही वादी के पिता खरथाराम सेटलमेंट से पूर्व फौत होने के कारण वक्त सेटलमेंट वादी के अन्य तीनो भाईयो के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ जबकि सेटलमेट अधिकारियो के भूलवंश वादी का नाम उक्त खसरान मे आने से वंचित रह गया है। इस कारण वादी ने यह दावा पेश किया गया है। इसमे मौजा पुनियो का तला में खेत खसरा नम्बर 633/556 रकबा 59.15 बीघा, खसरा नं. 588/430 रकबा 24.02 बीघा, खसरानं. 591/430 रकबा 63.00 बीघा मौजा पीथोणियो की ढाणी के खेत खसरा नं. 678/557 रकबा 5.15 बीघा मे वादी का 1/4 हिस्सा घोषित करने का निवेदन किया। उक्त वाद मे वादी ने अपने वाद के समर्थन मे पर्चा लगान EXP-1 मिशल बंदोबस्त EXP-2 व 3 नकल चालू जमाबन्दी EXP-4 से 5 पेश किया।

सहायक कलक्टर (SDO)
बाड़मेर

कलक्टर (SDO)

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 स्वंय उपस्थित वादी एंव प्रतिवादीगण दोनो उपस्थित दोनो पक्षकारान ने आपस मे सहमति से जरिये राजीनामा वादी के वाद के तथ्यो को स्वीकार किया गया

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक सूक्ष्म अवलोकन किया तथा अधिवक्ता वादीगण के तर्को पर गम्भीर मनन किया। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तथा अवलोकन से यह निर्विवाद साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पुश्तैनी भूमि रही है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 तक संयुक्त खातेदार काश्तकार है।

अत : वादीगण का यह वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा पुनियो का तला में खेत खसरा नम्बर 633/556 रकबा 59.15 बीघा, खसरा नं. 588/430 रकबा 24.02 बीघा, खसरानं. 591/430 रकबा 63.00 बीघा मौजा पीथोणियो की ढाणी के खेत खसरा नं. 678/557 रकबा 5.15 बीघा मे वादी को 1/8 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/8 प्रतिवादी संख्या 5 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्से एंव प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्सा का काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुरूप वादीगण के पक्ष मे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नही करे एंव इसी अनुसार डिक्री पर्चा तैयार होकर जारी हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
सहायक कलक्टर एंव एसडीओ
बायतु (बाड़मेर)

निर्णय आज कोर्ट केम्प सवाऊ पदमसिंह मे दिनांक 08.07.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
सहायक कलक्टर एंव एसडीओ
बायतु (बाड़मेर)